न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

रण सं. 86/2019
म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
र्णय दिनांक 11.03.2020

1. समन्दरसिंह पुत्र सुगडसिंह जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
1. अतरसिंह पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
2. थानसिंह पुत्र डोरी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
3. भागवती पत्नि प्रकाश जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.
4. शिब्बो पुत्र खुन्नी जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

प्रार्थी/सायल

बनाम

1. शंकर पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी करीली तहसील नदबई (भरतपुर)राज.

अप्रार्थी/गैरसायलान

उपस्थित श्री राधेश्याम शर्मा एड0

श्री भगवानसिंह फौजदार एड0

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रेश किया जा चुका है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है।
2. यह है कि हाल जमाबन्दी संबंत 2077 की खाता सं. 362 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1612 रकवा 0.03, 1908 रकवा 0.13, 1910 रकवा 0.05 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है. वाके ग्राम करीली तहसील नदबई में स्थित है। प्रार्थना के समर्थन में जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस पेश है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी सायलान/वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगणं की सहखातेदारी की कृषि भूमि है। जिस पर सायलान/वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मनवट के आधार से काश्त करते चले आ रहे हैं। परंतु गैरसायल सं. 1 का उक्त विवादित कृषि भूमि से हाल व बाद किसी प्रकार का को संबध व सरोकार नहीं रहा है न ही गैरसायल सं. 1 का उक्त विवादित कृषि भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। गैरसायल सं. 1 ने उक्त विवादित कृषि भूमि पर जबरन लट्ठ के बल पर कब्जा करने की फिराक में है। जिसे कब्जे से बेदखल किया जाना न्यायहित में है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

विषय प्रा. पत्र 212 R.T.A.

यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी को सायलान जोतने बावत देखने गये तो मौके पर ईंट पत्थर पडे देखकर जांच की तो पता चला कि उक्त ईट पत्थर गैरसायल सं. 1 ने अपने ट्रैक्टर से डाले हैं। तब इस बावत गैरसायल सं. 1 से पूछा गया तो गैरसायल सं. 1 ने यह ऐलानियां धमकी दिनांक 23.8.19 को वाके ग्राम करीली तहसील नदबई में दी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस में जबरन कब्जा कर पुख्ता निर्माण करूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अब नीम खुदवाकर निर्माण कार्य एक दो दिन में चालू कर दूंगा और प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकता क्योंकि प्रशासन पैसे का है,तुम्हें मैं जोतने नहीं दूंगा इसलिये चुप घर बैठ जाओ कल मैं जबरन बंदूक की नोंक पर कब्जा ले लूंगा। और तुम्हें कब्जे से बेदखल कर पुख्ता निर्माण कार्य चालू कर दूंगा। अगर गैरसायल सं. 1 अपनी दी गयी धमकी में कामयाब हो गया तो सायलान को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद नहीं हो सकेगी। इसलिये गैरसायल सं. 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह मूल वाद के निस्तारण तक सायलान को बेदखल नहीं करे व कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे जिससे सायलान के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं हो।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थन पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए सायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ताफैसला स्थगन आदेश से इस कदर पाबंद किया जावे कि वह सायलान की वर्णित मद सं. 2 की आराजी से जबरन लट्ठ के बल पर कब्जे से बेदखल नहीं करे व कोई पुख्ता निर्माण नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये प्रार्थीगण की तरफ से श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुये एव अप्रार्थी की ओर से श्री भगवानसिंह फौजदार जी एडवोकेट उपस्थित हुए। जिनके द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो निम्नानुसार है। :–

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 गलत होने से स्वीकार नहीं है।
2. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 गलत होने से स्वीकार नहीं है। सायलान व उनके पूर्वजों ने उक्त समस्त रकवा जरिये वयनामा दिनांक 29.10.83 व इकरारनामा दिनांक 10.11.82 से गैरसायलान को संपूर्ण रकवा क्रय किया था। जिसमें खसरा नम्बर 1908 में प्रतिवादी सुभाष व उसके बडे भाई सतवीर सिंह का पुख्ता मकान निर्माण किया हुआ है व चारों तरफ से 7–7 फीट ऊँची वांउन्ड्रीवॉल कर मुख्य लोहे का दरवाजा चढा रखा है। तथा खसरा नम्बर 1909 रकवा 0.13 है. सडक से दो भागों में बटा हुआ है जिसमें एक भाग में गैरसायल की 8 पुख्ता दुकान 30 साल पूर्व से बनी हुई है, व किराये पर उठी हुयी है तथा खसरा न. 1909 व 1910 का मौके पर अलग से कोई अस्तित्व नहीं है बल्कि वह गैरसायलान के पैतृक आराजी खसरा न. 1911 में मिलाकर हम भाईयों ने दो हिस्सों बांट रखा है। जिसकी सडक की तरफ से पुख्ता नींव जानवरों के नुकसान की वजह से भर रखी है जो कुर्सी तक है तथा मौके पर उक्त आराजी का अलग से कोई अस्तित्व व डौर मेंढ नहीं है। बल्कि पैतृक आराजी में मिला रखी है तथा इसमें शेष हिस्से में जो निर्माण से अलग है उसमें गैरसायल द्वारा बोई हुयी सरसों की फसल खडी हुयी है जिस पर 1982 से ही गैरसायलान का वक्त वयनामा व इकरारनामा से कब्जा काश्त है व अब गैरसायलान द्वारा जानवरों से नकसान को देखते हुये

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

बाउन्ड्रीवॉल कर रहे थे जिसको सायलान ने रूकवाने के लिये एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिय है। उक्त खसरा नम्बरान पर गैरसायलान का कब्जा न होकर उनके दो बडे भाई भगवानसिंह वकील व करतारसिंह जेलर का कब्जा है जिसे दो हिस्सों में उत्तर से दक्षिण अपने पैतृक खसरा न. 1911 में सम्मिलित कर दो हिसें में वांट रखा है, व बीच में विभाजन हेतु मेंढ डाल रखी है। तथा उक्त आराजी के चारों तरफ पशुओं के नुकसान की वजह से तारबंदी कर रखी है। आराजी पर उसके एक इंच पर कहीं कोई कब्जा वक्त बेचान से हीं नहीं है बल्कि गलती से 1/3 हिस्से पर उनकी गलत खातेदारी अंकित कर रखी है जो कानूनी रूप से प्रतिकूल कब्जा होने की वजह से आरटीए की धारा 63(4) के तहत उसके खातेदारी के अधिकार समाप्त हो गये हैं। तथा गैरसायलान को मौके पर कोई कब्जा नहीं है।

3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 गलत होने से स्वीकार नहीं है। गैरसायलान का ही संपूर्ण रकवा पर कब्जा काश्त है व मनबट से गैरसायल शंकर सिंह की सडक के किनारे 8 पुख्ता दुकान बनी हुयी है। जो आज से करीब 30 साल पूर्व की बनी है। किसी तरह का जबरन कोई कब्जा करने का प्रश्न ही नही है। बल्कि वैधानिक तरीके से मनबट से आये हुये अपने हिस्से के रकवा में दुकान बना रखी हैं क्योंकि शुरू में उक्त खसरा नम्बरान जो खसरा नम्बर 1911 व 1912 से बने हुये हैं का इकरारनामा गैरसायल व तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता रामगोपाल व रामदयाल के नाम संपूर्ण रकवा का बेचान का इकरारनामा दिनांक 11.10.82 को सायलान व इनके पूर्वजों ने तहरीर किया था। जिसके तहरीर होते ही गैरसायलान को मौके पर कब्जा दिया गया था उसी आधार पर अपने पारिवारिक बटवारे में यह रकवा जिस दुकान बनी हुयी है मुझ गैरसायल शंकर के हिस्से में मनबट से आया था जो मुझ गैरसायल के पैतृक खसरा नम्बर में मिला हुआ है इसका भी मौके पर अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 असत्य व मनगढन्त है।

4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 गलत होने से स्वीकार नहीं है। गैरसायल शंकर की अपने हिस्से पर 30 साल पूर्व से पुख्ता 8 दुकान बनी हुयी है। उनको उस हिस्से पर सायलान का जोतने बोने का कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि इस हिस्से पर काश्त न होकर पुख्ता दुकान बनी हुयी है। ऐसी स्थिति में सायलान को धमकी देने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। उक्त दुकानें आज से 30 साल पूर्व की बनी हुई हैं जबकि सायलान द्वारा निर्माण करने की धमकी दी गयी है बडा हास्यास्पद है। उक्त रकवा पर गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का कोई औचित्य व अधिकार नहीं है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 गलत होने से स्वीकार नहीं है क्योंकि प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में न होकर गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः श्रीमान जी से जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Scanned by CamScanner

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ल जमाबंदी संबत 2074–77 वाके ग्राम करीली एवं नक्शा ट्रेस वाके ग्राम करीली पेश की गई। सायलान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल फोटोप्रति वयनामा दिनांक 29.10.83 वाके ाम करीली, नकल फोटोप्रति नामांतकरण सं. 914 वाके ग्राम करीली, नकल फोटोप्रति नामांतकरण ां. 739 वाके ग्राम करीली, नकल ब्लूप्रिन्ट नक्शा विवादित आराजी वाके ग्राम करीली पेश किये गये।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी। प्रार्थी वकील द्वारा 26 नियम 9 व 151 सीपीसी पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नदबई को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। तदुपरांत तहसीलदार नदबई की मौका रिपोर्ट पत्रांक एलआर/20/493 दिनांक 03.03.2020 के अनुसार आराजी खसरा न. 1612 रकवा 0.03 में पुख्ता दुकान व आराजी खसरा न. 1908 रकवा 0.14 है. में पुख्ता मकान एवं खसरा न. 1909 रकवा 0.13 व 1910 रकवा 0.05 है. में सरसों की फसल खडी हुयी है।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. प्राईमाफेसी केस :– दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अंतर्गत स्थाई निषेधाज्ञा का है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 व बहस में कहा है कि विवादित आराजी जो कि सायलान की रिकॉर्ड खातेदारी की भूमि है। जिस पर गैर सायल लट्ठ के बल पर कब्जा कर निर्माण करना चाहता है। उक्त सायल द्वारा अपने तर्क को सिद्ध करने के समर्थन में आरआरटी 2012(1) आरआरटी पेज 187 बोर्ड ऑफ रेवन्यू उनवान कमली बनाम लालू, आरआरटी 2011 (1) पेज 329 उनवान रूदमल बनाम गोरधनलाल, आरआरटी 2016 (2) पेज 1085 उनवान मुहम्मद रफी बनाम सलीम, आरआरटी 2014 (2) सरदार बनाम बाबूसिंह पेज 1073 पेश किये गये एवं गैरसायल ने अपने जबाब व बहस में कहा कि विवादित आराजी को गैरसायल द्वारा 1983 में क्रय किया गया था लेकिन भूलवश दाखिला दर्ज नहीं करवा पाया एवं गैर सायल ही विवादित आराजी पर कब्जे व काश्त है। गैर सायल ने आगे कहा कि गैरसायल 12 साल से अधिक समय से विवादित भूमि पर काबिज है। अतः गैरसायल को स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जाती है। गैर सायल द्वारा अपने तर्क को सिद्ध करने के लिये नजीर आरआरडी 1982 पेज 426 उनवान भैरूलाल बनाम बाबूलाल, सिविल ट्यून्स 2008 पेज 226 थिम्मैआ बनाम सबीरा वगैरा, डीएनजे 2004 पेज 263 रामे गोवडा बनाम वरादप्पा नायडू, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सेक्शन 63 (4) व इकरारनामा दिनांक 27.07.1998 पेश किया।सायल ने अपने गैरसायलान के जबाब के रिवीटल में कहा कि विवादित भूमि पर सायल काबिज है एवं गैरसायल का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है चूंकि सायल व गैरसायलान में विवाद का बिंदु विवादित आराजी में हकों के निर्धारण का है। सायल विवादित भूमि के खातेदार हैं एवं गैरसायलान इकरारनामा व वयनामा के आधार पर विवादित भूमि पर

Scanned by CamScanner

निर्माण करना चाहते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पृथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में है क्योंकि विवादित भूमि सायलान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

2. सुविधा का सन्तुलन –: बिन्दु सं. 1 के मद्धेनजर सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।
3. अपूर्णीय क्षति –: सायलान विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं एवं गैर सायलान विवादित भूमि पर निर्माण करना चाहते हैं। यदि विवादित भूमि पर गैरसायलान निर्माण करते हैं तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर हाल जमाबन्दी संबत 2077 की खाता सं. 362 के हाल आराजी खसरा नम्बर 1612 रकवा 0.03, 1908 रकवा 0.13, 1910 रकवा 0.05 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है. वाके ग्राम करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर पर विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं निर्माण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पावंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनो[redacted] RAS)
उपखण्ड [redacted]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner